



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-572 राँची, मंगलवार,

23 नवम्बर, 2021 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

28 अगस्त, 2020

संख्या-01/नीति-05-03/2020- 1433-- “झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018” के नियम 8, 24 एवं 25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए राजस्वहित में माहवार उत्पाद राजस्व का लक्ष्य निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है:-

- माह मार्च, 2020 में संपूर्ण भारत में लागू लाँकडाउन की तिथि 22.03.2020 से खुदरा उत्पाद दुकानों के बंद रहने की तिथि तक खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों से “झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018” के नियम 24 एवं 25 के अनुसार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उत्पाद राजस्व की वसूली नहीं की जायेगी, अर्थात् उक्त अवधि के राजस्व लक्ष्य को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

- ii. दिनांक 20.05.2020 (वित्तीय वर्ष 2020-21 में खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन प्रारम्भ होने की तिथि) से दिनांक 31.05.2020 एवं माह जून, 2020 के लिए खुदरा उत्पाद दुकानों हेतु किसी भी प्रकार का राजस्व लक्ष्य नहीं रहेगा, अर्थात् अनुज्ञाधारियों से JSBCL के गोदाम से मदिरा के उठाव के अनुरूप ही उत्पाद परिवहन कर (Excise Transport Duty) की वसूली की जायेगी ।

ह0/-

सचिव-सह-आयुक्त उत्पाद,
झारखंड, राँची ।
